संलग्नक-1 (8)

प्रतिलिपि शासकीय आदेश संख्या 4887(2)/14-2-794/72 दिनांक 2-9-72, प्रेषक श्री रजनी रंजन चक्रवर्ती, अनु सचिव, उ0प्र0शासन सेवा मे मुख्य अरण्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:- मेसर्स हिन्डालको को 132 के0वी0ट्रांसमिशन लाइन हेतु 15-80 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या जी-279/11-38, दिनांक 26-7-72 के संदर्भ मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने मेसर्स हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कार्पोरेशन मिर्जापुर को 132 के0वी0ट्रांसमिशन लाइन के लिए दुद्धी वनप्रभाग मे पिपरी रेंज के मुरधवा ब्लाक कंपार्टमेन्ट नं016 व 17 की 15-80 एकड़ भूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1- पट्टे की अवधि 25 वर्ष की होगी।
2- पट्टेदार 9,480 रू0 प्रीमियम एवं 474 रूपया वार्षिक किराया देगा।
3- पट्टेदार उक्त भूमि पर खड़े पेड़ों का मूल्य बिक्री कर सहित 9817रू037पै0देगा।
4- पट्टे पर दिये जाने के उपरांत भी उक्त भूमि रक्षित वन बनी रहेगी।
5- पट्टेदार उचित मूल्य पर 2,000 गैलन पीने का पानी प्रतिदिन फारेस्ट कालोनी को उपलब्ध करायेगा।

प्रीमियम व किराये की उक्त धनराशि तथा पेड़ों का मूल्य प्राप्ति शीर्षक 'LI'- वन के संबंधित मूल उप शीर्षकों के अंतर्गत जमा की जायगी। कृपया विलेख का आलेख्य शासन को भेज दें एवं पट्टेदार को निदेश दें कि वे 32 रू0 विधीक्षण शुल्क के रूप मे ट्रेजरी मे निम्नलिखित प्राप्ति लेखा शीर्षक के अंतर्गत जमा करके ट्रेजरी चालान गवर्नमेन्ट कन्वेयेन्सर, उ0प्र0 विधान भवन, लखनऊ के पास भेज दें:-

, XVII -न्याय प्रशासन -प्रकीर्ण-निजी निकायों के लिए काम करने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस।

यह आदेश वित्त विभाग के सहमति से निर्गत किया जा रहा है जो उनके अशासकीय संख्या ई-7/1881/दस-72 दिनांक 28-8-72 द्वारा प्रदत्त है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
3- अरण्यपाल, द0वृ0, उ0प्र0, इलाहाबाद के पास मुख्य अरण्यपाल, को संबोधित उनके पत्रसंख्या 517/द0वृ0/15-57(ए) दिनांक 20-7-72 के संदर्भ मे।

15-6
2523
20-9-72

कार्यालय अरण्यपाल, द0वृ0, उ0प्र0, इलाहाबाद
संख्या 1721/द0वृ0/15-57/A, दिनांक, इलाहाबाद, सितम्बर, 1972

प्रतिलिपि उप अरण्यपाल, दुद्धी को सूचनार्थ प्रेषित। वे कृपया मामले में उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही संपन्न करके अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को तुरंत प्रस्तुत करें।

DR. [illegible]
Pl [illegible] immediately

(नारायण दत्त बलोनी)
अरण्यपाल, द0वृ0, उ0प्र0, इलाहाबाद
8/9/72

सी0 -8

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. ★ RENUKOOT ★ Sonebhadra 231217

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र